पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2017 ई0 (अग्रहायण 11, 1939 शक सम्वत) [संख्या–48

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	841–848	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	691–704	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	151–160	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि .	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–4

अधिसूचना

नियुक्ति

03 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 1019/बीस–4/2017–8(फायर)/2016–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के अन्तर्गत सीधी भर्ती के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के पश्चात् की गयी संस्तुति के आधार पर श्री विकास भण्डारी पुत्र श्री विजय भण्डारी, निवासी मोहल्ला गुगला, पो0ऑ0 हरदासपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को "उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग" में मुख्य अग्निशमन अधिकारी' वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त "उत्तर प्रदेश अग्निशमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 1984" तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें, जो समय–समय पर निर्धारित की जायेंगी, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

(2) अभ्यर्थी को दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(3) परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं संदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी द्वारा प्रथम तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में रिपोर्ट किया जायेगा। पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नवत् सूचनाएँ/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे:–

4.1 अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र।

4.2 समस्त चल एवं अचल सम्पति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके स्वामी हों।

4.3 एक से अधिक पत्नी न होने का घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र।

4.4 'इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923' के प्राविधानों को पढ़े जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।

4.5 दो राजपत्रित ऐसे अधिकारियों, जो सक्रिय सेवाओं में हो, किन्तु अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण–पत्र।

4.6 शैक्षिक योग्यता एवं स्थाई निवास प्रमाण–पत्र की एक–एक प्रमाणित प्रति।

4.7 लिखित रूप से एक "UNDER TAKING" की यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त समझी जाय।

2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराये जाने से पूर्व इनके शैक्षिक प्रमाण–पत्रों की वैधता की जाँच अपने स्तर से समयबद्ध रूप से करायी जायेगी।

3. अभ्यर्थी द्वारा यथा आवश्यक विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा।

4. अतः उक्त अभ्यर्थी श्री विकास भण्डारी को सूचित किया जाता है कि यदि वह मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति हेतु इच्छुक है तो पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रत्येक दशा में पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कर ली जायेगी।

5. अभ्यर्थी श्री विकास भण्डारी की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

विज्ञप्ति

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 1577/VII–1/2017/46 ख/17–खनिज विकास एवं राजस्वहित में राज्य की विभिन्न नदियों में उपलब्ध उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्डर) क्षेत्रों को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम–23(1) के प्रावधानानुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नांकित रिक्त क्षेत्रों को विज्ञापित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	ग्राम	खसरा सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	अनुमानित मात्रा	अभ्युक्ति
जनपद पौड़ी :					
1.	ग्राम रथुवाढाब, तहसील लैन्सडौन	खसरा नं0 01, 05, 07	1.351	31209 टन	–
2.	ग्राम झर्त, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 191	3.500	80850 टन	–
3.	ग्राम झर्त, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 191	3.826	88381 टन	–
4.	ग्राम कुमाल्डी, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 183, 1046	2.224	51374 टन	–
5.	ग्राम छिन्दुलवाडी, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 471, 4722	3.517	81244 टन	–
6.	ग्राम गजरजाल, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 219	2.472	57103 टन	–
7.	ग्राम सिमलसेरा, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 131, 134, 526	3.001	69324 टन	–
8.	ग्राम पापडी, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 3315	0.580	13398 टन	–
9.	ग्राम ढिकोलिया, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 715, 719 म0	3.00	69300 टन	–
10.	ग्राम ढिकोलिया, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 715, 719 म0	4.61	106491 टन	–
11.	ग्राम कर्तिया, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 1467	3.962	91522 टन	–
12.	ग्राम बन्जादेवी, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 145, 575	4.00	92400 टन	–
13.	ग्राम बन्जादेवी, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 145, 575	3.372	77893 टन	–
14.	ग्राम चौकसेरा, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 01, 238	1.00	23100 टन	–

क्र0 सं0	ग्राम	खसरा सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	अनुमानित मात्रा	अभ्युक्ति
15.	ग्राम मानपुर, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 190, 351, 352, 393	1.485	34305 टन	—
16.	ग्राम बागी, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 1	0.240	5544 टन	EC प्राप्त
17.	ग्राम छोटा मरोडा, तहसील लैन्सडौन	खसरा सं0 2	0.640	14784 टन	EC प्राप्त
18.	ग्राम दूनी माण्डई, तहसील कोटद्वार	खसरा सं0 250	1.880	43428 टन	EC प्राप्त
19.	ग्राम मज्याडी, तहसील कोटद्वार	खसरा सं0 1810	4.048	93509 टन	EC प्राप्त
20.	ग्राम चर, तहसील कोटद्वार	खसरा सं0 150, 178, 01	4,364	100808 टन	EC प्राप्त
21.	ग्राम बौंथा भेल डाबरा, तहसील कोटद्वार	खसरा सं0 685, 2220	1.93	44583 टन	EC प्राप्त
22.	ग्राम गुजराडी, तहसील यमकेश्वर	खसरा सं0 1	0.365	8433 टन	EC प्राप्त
23.	ग्राम दौशान, तहसील यमकेश्वर	खसरा सं0 1308, 1309	1.495	49335 टन	EC प्राप्त
24.	ग्राम धाहीखाल, तहसील यमकेश्वर	खसरा सं0 697 म0	2.315	53478 टन	EC प्राप्त
25.	ग्राम गुजराडा, तहसील यमकेश्वर	खसरा सं0 759, 767	1.453	33565 टन	EC प्राप्त
26.	ग्राम सिगड्डी, तहसील यमकेश्वर	खसरा सं0 1154	1.696	39178 टन	EC प्राप्त
27.	ग्राम बूंगा, तहसील यमकेश्वर	खसरा सं0 805	1.123	25942 टन	EC प्राप्त
28.	ग्राम बैरागड आमडीतल्ली तहसील यमकेश्वर	खसरा सं0 607, 149, 179, 1794	3.730	86163 टन	EC प्राप्त
29.	ग्राम श्रीकोट, गंगानाली, तहसील श्रीनगर	खसरा सं0 1	2	46200 टन	EC प्राप्त
30.	ग्राम पुराना, श्रीनगर, तहसील श्रीनगर	खसरा सं0 1	1	23100 टन	EC प्राप्त
31.	ग्राम श्रीकोट, गंगानाली, तहसील श्रीनगर	खसरा सं0 1921	1	23100 टन	EC प्राप्त
32.	ग्राम फतेहपुर रेती, तहसील श्रीनगर	खसरा सं0 1	3.127	72235 टन	EC प्राप्त
33.	ग्राम केशरपुर, तहसील सतपुली	खसरा सं0 1	0.500	11550 टन	—
34.	ग्राम केशरपुर, तहसील सतपुली	खसरा सं0 1	0.840	19404 टन	—
जनपद पिथौरागढ़:					
1.	ग्राम काण्डी, तहसील एवं जनपद पिथौरागढ़	—	4.099	30743 टन	EC प्राप्त
2.	ग्राम राडी खूंटी (I), तहसील एवं जनपद पिथौरागढ़	—	3.24	6720 टन	EC प्राप्त
3.	ग्राम माजरी काण्डा, तहसील एवं जनपद पिथौरागढ़	—	0.488	3660 टन	EC प्राप्त
4.	ग्राम गोगना, तहसील एवं जनपद पिथौरागढ़	—	0.228	3696 टन	EC प्राप्त
5.	ग्राम जमराडी रनतदा, तहसील एवं जनपद पिथौरागढ़	—	0.482	9009 टन	EC प्राप्त

क्र0 सं0	ग्राम	खसरा सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	अनुमानित मात्रा	अभ्युक्ति
6.	ग्राम माजरी काण्डा, तहसील एवं जनपद पिथौरागढ़	—	0.546	11880 टन	EC प्राप्त
7.	ग्राम चोपडा, तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़	—	0.401	1320 टन	EC प्राप्त
8.	ग्राम जमराडी तोक फान्दता, तहसील एवं जनपद पिथौरागढ़	—	0.255	4356 टन	EC प्राप्त
9.	ग्राम सिलोनी, तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़	—	2.397	6187 टन	EC प्राप्त
10.	ग्राम दिगडा, तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़	—	0.72	8910 टन	EC प्राप्त
11.	ग्राम चामताली, तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़	—	1.202	14850 टन	EC प्राप्त
12.	ग्राम घिंघरानी, तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़	—	1.169	12672 टन	EC प्राप्त
जनपद उत्तरकाशीः					
1.	ग्राम सुनारा, तहसील बड़कोट	—	0.971	16055 टन	EC प्राप्त
2.	ग्राम सुनारा, तहसील बड़कोट	—	0.195	3300 टन	EC प्राप्त
3.	ग्राम एवं तहसील बड़कोट	—	0.301	8250 टन	EC प्राप्त
4.	ग्राम बगासू, तहसील बड़कोट	—	0.401	11000 टन	EC प्राप्त
5.	ग्राम सिंगोटी–3, तहसील डुण्डा	खसरा सं0 729	0.234	4752 टन	EC प्राप्त
6.	ग्राम सिंगोटी–2, तहसील डुण्डा	खसरा सं0 690, 693	0.637	8411 टन	—
7.	ग्राम सिंगोटी–1, तहसील डुण्डा	खसरा सं0 23म	0.30	3960 टन	—
8.	ग्राम मातली–1, तहसील डुण्डा	खसरा सं0 2498म एवं 2854	0.3910	7742 टन	—
9.	ग्राम मातली–2, तहसील डुण्डा	खसरा सं0 2278म एवं 2072म	0.270	3564 टन	—
10.	ग्राम मातली–3, तहसील डुण्डा	खसरा सं0 1765म एवं 1766म	1.085	9550 टन	—
11.	ग्राम रनाडी, तहसील डुण्डा	1म	0.400	7920 टन	—
12.	अस्तल–2	589म, 639म	0.40	7920 टन	—
13.	अस्तल–3	817म	0.350	4620 टन	—
14.	खट्टू खाल मध्ये रूणवस्यूं	9397	0.411	2713 टन	—
15.	ग्राम पासा, तहसील मोरी	खसरा सं0 194	1.695	51975 टन	—
16.	ग्राम थली, तहसील मोरी	—	0.417	13612 टन	—
17.	देवता रेंज ढडियार, कक्ष सं0 बसला–1	—	4.2	138600 टन	—
18.	देवता रेंज ढडियार, कक्ष सं0 बसला–1	—	0.44	14520 टन	—
19.	देवता रेंज ढडियार, कक्ष सं0 बसला–1	—	1.00	22000 टन	—

क्र0 सं0	ग्राम	खसरा सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	अनुमानित मात्रा	अभ्युक्ति
20.	देवता रेंज ढडियार, कक्ष सं0 बसला–1	—	0.86	28380 टन	—
21.	सान्द्रा रेंज ढडियार	—	0.21	6930 टन	—
जनपद रूद्रप्रयागः					
1.	ग्राम सुमेरपुर, तहसील व जनपद रूद्रप्रयाग	—	0.1	2850 टन	EC प्राप्त
2.	ग्राम नगरासू, तहसील व जनपद रूद्रप्रयाग	—	0.121	3448.50 टन	EC प्राप्त
जनपद हरिद्वारः					
1.	चौली शाहबुद्दीनपुर जदीद मुस्तहकम, तहसील भगवानपुर	23/1, 23/2, 24/1, 24/2 आदि कुल 108 किते	22.3399	223399 घनमीटर	—
2.	लतीफपुर खुब्बनपुर जदीद मुस्तहकम, तहसील भगवानपुर	खाता सं0 397, ख0 सं0 349, 354	11.4482	114482 घनमीटर	—
3.	फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला, तहसील भगवानपुर	खाता सं0 379, ख0 सं0 479छ, 436ग, 479ज, 436थ, 479झ, 436ङ, 479झ, 479ट, 436च, 436छ, 476, 4795, 4505 व 556	23.0543	230543 घनमीटर	—
4.	नौकराग्रन्ट, तहसील भगवानपुर	ख0सं0 311, 318, 320, 321, 365, 367, 369	12.9658	129650 घनमीटर	—
5.	लालवाला खालसा, तहसील भगवानपुर	ख0 सं0 282ख, 282म, 282म	8.4989	84989 घनमीटर	—
6.	दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद, तहसील भगवानपुर	गाटा सं0 639/2म, 544/1म, 491, 492मि0, 493मि0	6.6755	66755 घनमीटर	—
7.	दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद, तहसील भगवानपुर	गाटा सं0 186/4म	19.4225	194225 घनमीटर	—
8.	दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद, तहसील भगवानपुर	गाटा सं0 259/15, 260, 227, 228/1, 228/2, 223, 224, 225, 234, 235, 220, 216, 215, 169/17, 214, 184	25.585	255850 घनमीटर	—
9.	दौलतपुर उर्फ हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद, तहसील भगवानपुर	गाटा सं0 178, 179, 180/1	2.2190	22190 घनमीटर	—
10.	बन्जारेवाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर	657/3	15.000	150000 घनमीटर	—
11.	बन्जारेवाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर	गाटा सं0 657/3म	13.1610	131610 घनमीटर	—
12.	बन्जारेवाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर	गाटा सं0 717/1, 717/2, 717/3	8.5547	85547 घनमीटर	—
13.	बन्जारेवाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर	गाटा सं0 717/21, 717/22	8.6673	86673 घनमीटर	—

क्र0 सं0	ग्राम	खसरा सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	अनुमानित मात्रा	अभ्युक्ति
14.	बन्जारेवाला ग्रन्ट, तहसील भगवानपुर	गाटा सं0 746/1	9.8780	98780 घनमीटर	—
15.	लामग्रन्ट, तहसील भगवानपुर	ख0 सं0 159/15म, 160म, 161/1म	10.094	100940 घनमीटर	—
16.	रामपुर रायघटी अहतमाल, तहसील लक्सर	17/4, 17/5	1.475	14750 घनमीटर	—
17.	रामपुर रायघटी अहतमाल, तहसील लक्सर	17/6, 17/16, 20	1.578	15780 घनमीटर	—
18.	रामपुर रायघटी अहतमाल, तहसील लक्सर	28/1, 28/2	2.335	23350 घनमीटर	—
19.	रामपुर रायघटी अहतमाल, तहसील लक्सर	28/3, 29	1.496	14960 घनमीटर	—
20.	रामपुर रायघटी अहतमाल, तहसील लक्सर	30/1, 30/2	0.740	7400 घनमीटर	—
21.	रामपुर रायघटी अहतमाल, तहसील लक्सर	31, 32/1, 74/12	1.915	19150 घनमीटर	—
22.	रामपुर रायघटी अहतमाल, तहसील लक्सर	74/13, 74/15, 77/1	1.710	17100 घनमीटर	—
23.	रामपुर रायघटी अहतमाल, तहसील लक्सर	77/1	1.950	19500 घनमीटर	—
24.	रामपुर रायघटी अहतमाल, तहसील लक्सर	77/1	1.283	12830 घनमीटर	—
25.	रामपुर रायघटी अहतमाल, तहसील लक्सर	77/1	1.675	16750 घनमीटर	—
26.	रामपुर रायघटी अहतमाल, तहसील लक्सर	77/12, 77/15, 77/21, 77/1	1.485	14850 घनमीटर	—
27.	रामपुर रायघटी अहतमाल, तहसील लक्सर	78/2	1.700	17000 घनमीटर	—
28.	रामपुर रायघटी अहतमाल, तहसील लक्सर	79म	1.534	15340 घनमीटर	—
29.	रामपुर रायघटी अहतमाल, तहसील लक्सर	79म	2.058	20580 घनमीटर	—
30.	रामपुर रायघटी अहतमाल, तहसील लक्सर	79म	1.654	16540 घनमीटर	—

जनपद नैनीताल :

क्र0 सं0	ग्राम	खसरा सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	अनुमानित मात्रा	अभ्युक्ति
1.	भौर्सा, तहसील नैनीताल	2519अ	6	60000 घनमीटर	—
2.	कटीमी, तहसील बेतालघाट	982	1.60	16000 घनमीटर	—
3.	कटीमी, तहसील बेतालघाट	1666, 1692, 1752	2.98	29800 घनमीटर	—
4.	कटीमी, तहसील बेतालघाट	1319, 1320, 1324	1.30	13000 घनमीटर	—
5.	सेठी धारकोट, तहसील बेतालघाट	3103, 3073/4893	1.540	15400 घनमीटर	—
6.	तल्लाकोट धनियाकोट, तहसील कोश्याकुटौली	2300/9284	1.720	17200 घनमीटर	—

2. उक्तानुसार घोषित रिक्त क्षेत्रों से उपखनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,

प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट/802–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2017 ई० (अग्रहायण 11, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

October 26, 2017

No. 256/UHC/XIV-a/53/Admin.A/2015--Ms.Suman, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 23 days w.e.f 25.09.2017 to 17.10.2017 with permission to prefix 24.09.2017 as Sunday holiday and suffix 18.10.2017 to 22.10.2017 as Deepawali and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

October 30, 2017

No. 259/UHC/XIV-a/28/Admin.A/2012--Ms. Ritika Semwal, Principal Magistrate/Judicial Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 05.10.2017 to 17.10.2017 with permission to prefix 04.10.2017 as local holiday and suffix 18.10.2017 to 22.10.2017 as Deepawali holidays and Sunday holiday respectively.

NOTIFICATION

October 30, 2017

No. 260/XIV-a/49/Admin.A/2012--Ms. Shama Nargis, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 65 days *w.e.f.* 14.08.2017 to 17.10.2017 with permission to prefix 12.08.2017 and 13.08.2017 as second Saturday and Sunday holidays and suffix 18.10.2017 to 22.10.2017 as Deepawali holidays and Sunday holiday respectively, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011, dated 30.05.2011, issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

November 08, 2017

No. 263/UHC/XIV-a-47/Admin.A/2015--Sri Dharmendra Shah, Judicial Magistrate, Laksar, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 06 days *w.e.f.* 08.10.2017 to 13.10.2017 with permission to suffix 14.10.2017 and 15.10.2017 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4384 / लाइसेंस / 2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 16.06.2016 को वाहन संख्या–यूके–07बीएन–8200, दुपहिया वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री राजीव श्रीवास्तव पुत्र श्री कमलेश कुमार श्रीवास्तव, डी ब्लॉक, सर्वति विहार, अजबपुर, देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूए–0720120196755, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 20.02.2032 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4386 / लाइसेंस / 2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 02.03.2016 को वाहन संख्या–यूके–07एएन–1122, कार का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री सुनील सिंह पुत्र श्री असद सिंह, अपर राजीव नगर, देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूए–0720070007179, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 25.04.2027 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4387/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 05.09.2016 को वाहन संख्या–यूके–07बीएल–0674, दुपहिया वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अभिनव थपलियाल पुत्र श्री आर० पी० थपलियाल, माजरी माफी, कृष्णापुरम, मोहकमपुर, देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूए–0720060104554, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 16.04.2026 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4388/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 19.06.2016 को वाहन संख्या–UK07CA-7234, प्रकार Lav, का चालक द्वारा वाहन चलाते समय रेड लाइट जम्प करना, भार वाहन में यात्री परिवहन करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री सनावर S/o श्री सलीम, 17 मोहब्बे वाला, देहरादून के ड्राईविंग लाइसेंस संख्या UA0720090079372, जो कि कार्यालय द्वारा Motor Cycle, Trans, PSV Bus के लिए जारी किया गया है तथा दिनांक 24.09.2016 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा क्षमायाचना करते हुए, भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 10 एवं 12 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को दिनांक 19.06.2016 से 18.12.2016 की अवधि के लिए लाइसेंस में वर्णित किसी भी श्रेणी के वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4389/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 20.04.2017 को वाहन संख्या–यूके–07एए–9394, कार का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री जितेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री सी० एस० बिष्ट, 34–ए, लेन–8, तपोवन एन्कलेव, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूए–0720080040061, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 03.04.2028 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4390/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 04.04.2017 को वाहन संख्या–यूके–07बी0बी0–8297, कार का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मयंक ध्यानी पुत्र श्री एम0 एम0 ध्यानी, लेन–9, एकता विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूए–0720020029335, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 14.09.2021 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4391/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 14.06.2016 को वाहन संख्या–यूपी–20एपी–2115, मो0 सा0 का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री शोभित शर्मा पुत्र श्री सुशील कुमार, मो0–दीवानपरमानाद, निकट जैन ए0 यू0, नजीबाबाद, उ0प्र0 की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 5682/बिजनौर/06, जो कि बिजनौर कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 02.09.2027 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई०

संख्या 4392/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 05.06.2017 को वाहन संख्या UK07PL-8996, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 का प्रयोग करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री हरीश कुमार S/o श्री भरत सिंह, की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP0719990156227, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 30.06.1999 से 29.06.2019 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 20.05.2013 से 27.05.2016 तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम .... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4393/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 13.06.2017 को वाहन संख्या UK07AY-0727, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री ओम प्रकाश S/o श्री रामकिशोर की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-1420030071482, जो कि ऋषिकेश कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 06.12.2016 से 05.12.2036 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .... से .... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4394/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 05.07.2016 को वाहन संख्या—यूके—07एजेड—1547, मो0 सा0 का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री रहमान अली पुत्र श्री मन्सूर अली, 55 एमडीडीए कॉलोनी, डालनवाला, देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूके—0720120211270, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 10.06.2032 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

23 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4396/लाइसेंस/2016—17—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 09.07.2017 को वाहन संख्या—यू0के0—14टीए—0863, मोटर कार का चालान, चालक द्वारा वाहन निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में चालन किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालक श्री हुकुम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, अनुज्ञप्ति सं0 यू0के0—1420060044121, जो सहायक सम्भागीय परिवहन, ऋषिकेश द्वारा 13.07.2006 के लिए वाहन संचालन करने हेतु जारी किया गया है तथा 12.07.2026 तक वैध है, जो कि हल्का मोटर यान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 13.07.2016 से 12.07.2018 तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए, भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

23 अक्टूबर

संख्या 4397/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 04.07.2017 को वाहन संख्या–यू0के0–07बी0भी0–0409, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री इस्तियाक अली पुत्र श्री असफाक की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0–0720130260053, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 04.07.2013 से 23.07.2033 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

23 अक्टूबर

संख्या 4398/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 01.07.2017 को वाहन संख्या–यू0के0–07बी0 71416, मोटर साइकिल वाहन का चालान, चालक द्वारा खतरनाक तरीके से वाहन संचालन करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री तेंनसिंग पुत्र श्री कैंसग की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0ए0–0720080036911, जो इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए 29.02.2008 जारी की गयी है तथा दिनांक 28.02.2028 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

17 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4399/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 13.04.2016 को वाहन संख्या–यूके–07बीजे–3147, कार का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अनिल कुमार पुत्र श्री प्रेम पाल, 56/बी–1, डीएल रोड, देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यूए–0720070001460, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 04.06.2020 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

23 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4400/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 13.07.2017 को वाहन संख्या—यू0के0—07एटी—0411, मोटर कार वाहन का चालान, चालक द्वारा निर्धारित गति से तेज गति में वाहन संचालन के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मैनुअल हक पुत्र श्री शमसुल हक की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0ए0—0720070023957, जो इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 09.10.2007 से 08.10.2027 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

23 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4402 लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 08.07.2017 को वाहन संख्या—यू0के0—टीबी—1482, मोटर कार का चालान, चालक द्वारा वाहन संचालन निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में चालन किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा चालक श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री सालिक राम के चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0पी0—302014003616, जो लाइसेंसिंग प्राधिकरण, हरदोई, यू0पी0 कार्यालय द्वारा 17.05.2014 के लिए वाहन संचालन करने हेतु जारी किया गया है तथा 16.05.2034 तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता 07.12.2018 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए, भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 25 के उपनियम 09 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

23 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4403/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 03.07.2017 को वाहन संख्या—यू0के0—07बीजे—0497, मोटर साइकिल वाहन का चालान, चालक द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री किरन छेत्री पुत्र श्री हेम छेत्री की चालन अनुज्ञप्ति संख्या एएस—2320060016402, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 07.10.2016 से 06.10.2026 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

23 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4404/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 15.07.2017 को वाहन संख्या–यू0ए0–07–3372, मोटर वाहन का चालान, चालक द्वारा निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री शाहिन खान पुत्र श्री ए0 जे0 खान की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 6432/डी/2001, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 10.04.2001 से 22.11.2021 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

23 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4405/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 04.07.2017 को वाहन संख्या–यू0पी0–11बीडी–7131, मोटर कार वाहन का चालान, चालक द्वारा निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री जतिन कोचर पुत्र श्री नन्द किशोर कोचर की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0पी0–1111015576, जो कि सहारनपुर कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 27.08.2011 से 26.08.2031 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

23 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4406/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 02.06.2017 को वाहन संख्या–UK07BT-6722, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मनीष सिंह S/o श्री कलाम सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720170006354, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 03.04.2017 से 27.02.2035 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक..................से ... . तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

23 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4407/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 14.07.2017 को वाहन संख्या—एचआर—26बीपी—0072, मोटर कार वाहन का चालान, चालक द्वारा निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री रविन्द्र पुत्र श्री राज सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या एचआर—1420040018023, जो कि झज्झर (एच0आर0) कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 27.01.2004 से 26.01.2024 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4420/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 02.06.2017 को वाहन संख्या—MP08MC-7777, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री जगदीश प्रसाद S/o राधेश्याम की चालन अनुज्ञप्ति संख्या MP-08R-20080023677, जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 15.04.2008 से 14.04.2028 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .... से .... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4421/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 04.06.2017 को वाहन संख्या—HRJAG-6955, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री डी0 एस0 गिरी S/o श्री सी0 एस0 गिरी की चालन अनुज्ञप्ति संख्या MP20P-2009-0176778, जो कि मध्यप्रदेश कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 25.07.2009 से 24.07.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .... से .... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4422/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 05.06.2017 को वाहन संख्या–UK-11-9105, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अमित खण्डूरी S/o श्री बल्लभ प्रसाद खण्डूरी की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK1120140008133, जो कि कर्णप्रयाग (चमोली) कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 11.12.2014 से 10.12.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .... से .... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4423/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 01.06.2017 को वाहन संख्या–UK 16A-5555, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री संजय कुमार S/o ब्रहम सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या S-37550, जो कि मुजफ्फरनगर (U.P.) कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 03.09.2008 से 02.09.2028 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .... से .... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4424/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 03.06.2017 को वाहन संख्या–UK 07D-0100, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अक्षय चौहान S/o श्री हरेन्द्र चौहान की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0820130097291, जो कि हरिद्वार (UK) कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 30.01.2013 से 29.01.2033 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ....से .... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4425/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 03.06.2017 को वाहन संख्या–UK 08M-8700, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मौहिर वशिष्ठ S/o श्री नवीन कुमार की चालन अनुज्ञप्ति संख्या ...., जो कि बिजनौर (U.P.) कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 06.12.2006 से 05.12.2026 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ....से .... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम .... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4427/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 06.06.2017 को वाहन संख्या–UP11AM-5876, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अमित कुमार छाबड़ा S/o श्री नरेश कुमार की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP-112014000061, जो कि सहारनपुर, U.P. कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 02.01.2014 से 01.01.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .... से .... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4428/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 01.07.2017 को वाहन संख्या–UK07A-1027, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री पप्पू सिंह रावत S/o श्री अब्बल सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 103101/RK5107, जो कि ऋषिकेश कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 23.06.2007 से 22.06.2027 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ....से .... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4429/लाइसेंस/2017–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 12.06.2017 को वाहन संख्या यू0के0–08सीए–7555, मोटर वाहन का चालान, चालक द्वारा क्षमता से अधिक सामान ले जाने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मौ0 रासिद अहमद पुत्र श्री शाहिद अहमद की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0–0719970222058, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 12.05.1997 से 11.05.2017 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 25.08.2015 से 24.08.2018 तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 08 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4430/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस अधीक्षक, चण्डीगढ़ द्वारा दिनांक 09.06.2017 को वाहन संख्या यू0के0–सीएच04–1082, मोटर वाहन का चालान, चालक द्वारा शराब पीकर वाहन संचालन करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री बुद्विबल्लभ भट्ट पुत्र श्री पी0डी0 भट्ट की चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0ए0–0720050123469, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 21.12.2005 से 20.12.2025 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .... से .... तक है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 16 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4431 लाइसेंस/2016–17–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 05.06.2017 को वाहन संख्या–UK-B8-4837, मोटर स्कूटी का चालान, चालक द्वारा शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में चालन किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालक श्री मुकेश कुमार S/o श्री सोहन सिंह, चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720150027592, जो देहरादून कार्यालय द्वारा 09.09.2015 के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है तथा 08.09.2035 तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19, उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम.......... के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4432 लाइसेंस/2016—17—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 07.06.2017 को वाहन संख्या—UA077A-9794, मोटर का चालान, चालक द्वारा मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में चालन किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालक श्री नबहर सिंह S/o श्री बलवीर सिंह, चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0720170008504, जो देहरादून कार्यालय द्वारा 05.05.2017 के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है तथा 13.12.2023 तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19, उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम 25 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4433 लाइसेंस/2016—17—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 10.06.2017 को वाहन संख्या—UP07BR-3291, मोटर साइकिल का चालान, चालक द्वारा निर्धारित गति से तेज गति के अभियोग में चालान किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालक श्री योगेन्द्र प्रसाद S/o स्व0 भरोजीराम, चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP-0720110144603, जो देहरादून कार्यालय द्वारा 31.01.2011 के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है तथा 30.01.2031 तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19, उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम .... के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4434 लाइसेंस/2016—17—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 18.05.2017 को वाहन संख्या—UP07H-7482, मोटर साइकिल का चालान, चालक द्वारा मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में चालान किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालक श्री विरेन्द्रमोहन S/o पी0 डी0 पन्त, चालन अनुज्ञप्ति सं0 UA-0720030003455, जो देहरादून कार्यालय द्वारा 09.05.2003 के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है तथा 08.05.2023 तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19, उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम .... के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4435 लाइसेंस/2016–17–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 21.05.2017 को वाहन संख्या–PS1425-5623, मोटर साइकिल का चालान, चालक द्वारा मो0 फो0 का प्रयोग करने के अभियोग में चालान किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालक श्री शैलेन्द्र सिंह S/o जोथ सिंह, चालन अनुज्ञप्ति सं0 UK1120130004787, जो कर्णप्रयाग (चमोली) कार्यालय द्वारा 30.05.2013 के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है तथा 29.05.2033 तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19, उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम .... के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

24 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 4436/लाइसेंस/2016–17–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 04.05.2017 को वाहन संख्या–UK07BS-8821, मोटर स्कूटर का चालान, चालक द्वारा मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में चालान किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चालक श्री सुमनदेव बली S/o रामेश्वरी प्रसाद, चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0790110168336, जो देहरादून कार्यालय द्वारा 18.07.2011 के लिए वाहन संचालन करने, जारी किया गया है तथा 17.07.2031 तक वैध है, जो कि हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी किया गया है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र दिया गया तथा क्षमायाचना करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का कथन किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19, उपधारा 01(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 21 के उपनियम .... के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु चालान दिनांक से तीन माह के लिए अनर्ह (Disqualify) करता हूँ।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी,
मोटर वाहन विभाग,
देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट/802–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या—यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015—17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2017 ई0 (अग्रहायण 11, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल

सार्वजनिक सूचना

18 अगस्त, 2017 ई0

पत्रांक 325/ठोस अपशिष्ट/उपविधि/2017—18—नगर पंचायत, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल सीमान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 उपधारा—2, खण्ड (झ) (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि—2017 बनायी जाती है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा—301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित किये जाने के फलस्वरूप निर्धारित समयान्तर्गत कोई भी लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ नहीं हुई है, आपत्तियाँ प्राप्त न होने पर उपविधि को शासकीय गजट में प्रकाशित किया जाता है।

मैं, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि—2017 को नगर पंचायत, कीर्तिनगर के क्षेत्रान्तर्गत गजट नोटिफिकेशन की तिथि से नियमानुसार लागू करता हूँ।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2017

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः

(1) यह उपविधि नगर पंचायत, कीर्तिनगर की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2017 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगर पंचायत कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।

(3) यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

4. परिभाषाएँः

(i) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(ii) "उपविधि" से तात्पर्य, नगरपालिका, अधिनियम 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है।

(iii) "नगरपालिका/पंचायत" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगरपालिका से है।

(iv) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य, नगरपालिका, अधिनियम 1916 के अन्तर्गत नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(v) 'सफाई निरीक्षक" से तात्पर्य, निकाय में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध होने की स्थिति में निकाय के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(vi) "निरीक्षण अधिकारी" का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जिन्हें समय-समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिये अधिकृत किया गया है।

(vii) 'नियम" से तात्पर्य, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 648, नई दिल्ली, मंगलवार, 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है।

(viii) "अधिनियम" से तात्पर्य, (उत्तर प्रदेश)/उत्तराखण्ड, नगरपालिका अधिनियम से है।

(ix) "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट" (Biodegradable waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से, जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके, फूलों-पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

(x) "जीव अनाशित अपशिष्ट" (Non-biodegradable waste) का तात्पर्य, ऐसे कूड़ा-कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा-कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी हैं।

(xi) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट" (Recyclable waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथिन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज, धातु, रबड़ आदि।

(xii) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट" (Biomedical waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

(xiii) "संग्रहण" (Collection) से तात्पर्य, अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना, अभिप्रेत है।

(xiv) "कचरा खाद बनाने" (Composting) से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैविक निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(xv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट" (Dimolition and Construction waste) से सन्निर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री, रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

(xvi) "व्ययन" (Disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(xvii) "भूमिकरण" (Landfilling) से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल, अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमिभरण पर निपटान अभिप्रेत है।

(xviii) "निक्षालितक" (Leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धूलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

(xix) "नगरपालिका प्राधिकारी" (Municipal Authority) में म्युनिसिपल कार्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका, नगरपालिका परिषद्, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन, ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(xx) "स्थानीय प्राधिकारी" (Local Authority)' का तात्पर्य, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगरपालिका, क्षेत्र पालिका या नगर पंचायत है।

(xxi) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" (Municipal Solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्ट को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xxii) "सुविधा के परिचारक" (Operator of a Facility)' से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचारक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(xxiii) "पुनःचक्रण" (Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(xxiv) "पृथक्करण" (Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

(xxv) "भण्डारण" (Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(xxvi) "परिवहन" (Transportation) से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है, ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

5. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर, जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट, सप्ताह में एक दिन नगरपालिका, नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारी/सुविधा प्रचारक (Operator of a Facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित, दरें जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिए जायेंगे।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पंचायत से सम्पर्क कर, पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो तो नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालन को देना होगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और हस्तन) नियम, 1988 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति, नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

13. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी का होगा।

14. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है, तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादन के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादन को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

15. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5/– के पूर्णांक में की जायेगी।

16. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User Charges)

बोर्ड बैठक दिनांक 04.01.2017 के प्रस्ताव संख्या 07 द्वारा निर्धारित

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) की प्रस्तावित राशि ₹ में	जो व्यक्ति सड़क तक आकर जैविक तथा अजैविक कूड़ा अलग–अलग दें	जो व्यक्ति सड़क तक आकर मिश्रित कूड़ा दें	जो व्यक्ति घर पर ही जैविक–अजैविक कूड़ा अलग–अलग दें	जो व्यक्ति घर पर ही मिश्रित कूड़ा दें
1	2	3	4	5	6	7
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	50.00 प्रतिमाह	NIL	30.00	30.00	40.00
2.	कम आय वाले घर (बी0पी0एल0) के अतिरिक्त 5,000.00 प्रतिमाह आय वाले घर)	50.00 प्रतिमाह	20.00	30.00	30.00	50.00
3.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	100.00 प्रतिमाह	50.00	70.00	70.00	100.00
4.	रेस्टोरेन्ट छोटे	500.00 प्रतिमाह	100.00	300.00	300.00	500.00
5.	होटल/लॉज/गेस्ट हाऊस	20 बेड तक 400.00	100.00	300.00	300.00	400.00
		20 बेड से अधिक 500.00 प्रतिमाह	100.00	300.00	300.00	500.00
6.	धर्मशाला	200.00 प्रतिमाह	NIL	50.00	50.00	100.00
7.	बारात घर	1,000.00 प्रतिमाह	200.00	400.00	400.00	1,000.00
8.	बैकरी	500.00 प्रतिमाह	200.00	300.00	300.00	500.00
9.	कार्यालय	200.00 प्रतिमाह	NIL	100.00	100.00	200.00

1	2	3	4	5	6	7
10.	आश्रम/अखाड़ा	500.00 प्रतिमाह	100.00	200.00	200.00	500.00
11.	सब्जी एवं फल विक्रेता					
	(i) ठेली पर फेरी में,	20.00 प्रतिदिन	10.00	20.00	20.00	20.00
	(ii) दुकान/फड पर	30.00 प्रतिदिन	10.00	20.00	20.00	30.00
12.	रेस्टोरेन्ट, बड़े	1,000.00 प्रतिमाह	200.00	400.00	400.00	1,000.00
13.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ, (आवासीय)	1,000.00 प्रतिमाह	200.00	400.00	400.00	1,000.00
14.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ, (अनावासीय)	500.00 प्रतिमाह	100.00	200.00	200.00	500.00
15.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम, (बॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	400.00 प्रतिमाह	100.00	180.00	180.00	400.00
16.	क्लीनिक/पैथोलॉजी	300.00 प्रतिमाह	100.00	150.00	150.00	300.00
17.	दुकान	200.00 प्रतिमाह	100.00	150.00	150.00	200.00
18.	फैक्ट्री	500.00 प्रतिमाह	100.00	200.00	200.00	500.00
19.	वर्कशॉप/कबाड़ी	1,500.00 प्रतिमाह	300.00	400.00	400.00	1,500.00
20.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	500.00 प्रतिमाह	300.00	400.00	400.00	500.00
21.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	500.00 प्रति उत्सव	300.00	400.00	400.00	500.00
22.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	100.00 घनमीटर	75.00	90.00	90.00	100.00

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5,000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तरण किया जाय तो अग्रेतर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो ₹ 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल में अन्तिम रूप में निहित होगा।

बलवन्त सिंह विष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, कीर्तिनगर,
टिहरी गढ़वाल।

कल्पना कठैत,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, कीर्तिनगर,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, देवप्रयाग, जनपद टिहरी गढ़वाल

सार्वजनिक सूचना

12 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्रांक 523/सॉलिड वेस्ट–उ0/2017–18–नगरपालिका परिषद्, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल सीमान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 उपधारा–2, खण्ड (झ) (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2017 बनायी जाती है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी। वाद–विवाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंन्धन उपविधि–2017

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः

(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2016 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।

(3) यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

4. परिभाषाएँः

(i) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सकीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्य तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(ii) "उपविधि" से तात्पर्य, नगरपालिका, अधिनियम 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है।

(iii) "नगरपालिका" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगरपालिका से है।

(iv) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य, नगरपालिका, अधिनियम 1916 के अन्तर्गत नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(v) "सफाई निरीक्षक" से तात्पर्य, निकाय में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध होने की स्थिति में निकाय के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(vi) "निरीक्षक अधिकारी" का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिये अधिकृत किया गया है।

(vii) 'नियम" से तात्पर्य, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 648, नई दिल्ली, मंगलवार, 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है।

(viii) "अधिनियम" से तात्पर्य, (उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड), नगरपालिका अधिनियम से है।

(ix) "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट" (Biodegradable waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट या जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके, फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

(x) "जीव अनाशित अपशिष्ट" (Non-biodegradable waste) का तात्पर्य, ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी हैं।

(xi) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट" (Recyclable waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथिन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज, धातु, रबड़ आदि।

(xii) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट" (Biomedical waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

(xiii) "संग्रहण" (Collection) से तात्पर्य, अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना, अभिप्रेत है।

(xiv) "कचरा खाद्द बनाने" (Composting) से तात्पर्य, ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(xv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट" (Demolition and Construction waste) से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री, रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

(xvi) "व्ययन" (Disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेश वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(xvii) "भूमिकरण" (Landfilling) से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल, अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमिभरण पर निपटान, अभिप्रेत है।

(xviii) "निक्षालितक" (Leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धूलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

(xix) "नगरपालिका प्राधिकारी" (Municipal authority) में म्युनिसिपल कार्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका, नगरपालिका परिषद्, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन, ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(xx) "स्थानीय प्राधिकारी" (Local authority)' का तात्पर्य, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगरपालिका, क्षेत्र पालिका या ग्राम पालिका है।

(xxi) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" (Municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्य तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xxii) "सुविधा के परिचालक" (Operator of a facility)' से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनःचक्रिय उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(xxiii) "पुनःचक्रण" (Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(xxiv) "पृथक्करण" (Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग-अलग करना अभिप्रेत है।

(xxv) "भण्डारण" (Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा-करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(xxvi) "परिवहन" (Transportation) से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है, ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा-करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर, जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट, सप्ताह में एक दिन नगरपालिका, पंचायत के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (Operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित, दरें जो समय-समय पर संशोधित करी जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिए जायेंगे।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, ढ्हान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पंचायत से सम्पर्क कर, पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व पेड़-पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो तो नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारिता जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला, व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति, नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

13. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा।

14. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्टों को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है, तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

15. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5/– के पूर्णांक में की जायेगी।

16. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User Charges)

बोर्ड बैठक दिनांक 17.04.2017 के प्रस्ताव संख्या 13 के द्वारा निर्धारित

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादन की श्रेणी/प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) की प्रस्तावित राशि ₹ में	जो व्यक्ति सड़क तक आकर जैविक तथा अजैविक कूड़ा अलग–अलग दें	जो व्यक्ति सड़क तक आकर मिश्रित कूड़ा दें	जो व्यक्ति घर पर ही जैविक–अजैविक कूड़ा अलग–अलग दें	जो व्यक्ति घर पर ही मिश्रित कूड़ा दें
1	2	3	4	5	6	7
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	50.00 प्रतिमाह	NIL	20.00	30.00	20.00
2.	कम आय वाले घर (बी0पी0एल0) के अतिरिक्त 5,000.00 प्रतिमाह वाले घर	50.00 प्रतिमाह	20.00	40.00	30.00	20.00
3.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	100.00 प्रतिमाह	20.00	20.00	30.00	30.00
4.	रेस्टोरेन्ट छोटे	500.00 प्रतिमाह	200.00	250.00	200.00	250.00
	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाऊस	20 बेड तक 400.00	200.00	250.00	200.00	250.00
5.	धर्मशाला	200.00 प्रतिमाह	NIL	50.00	50.00	100.00
6.	बारातघर	1,000.00 प्रतिमाह	300.00	350.00	350.00	400.00
7.	बेकरी	500.00 प्रतिमाह	100.00	200.00	200.00	500.00
8.	कार्यालय	200.00 प्रतिमाह	NIL	100.00	100.00	200.00

1	2	3	4	5	6	7
9.	सब्जी एवं फल विक्रेता					
	(i) ठेली पर फेरी में,	20.00 प्रतिदिन	10.00	20.00	20.00	20.00
	(ii) दुकान/फड पर	30.00 प्रतिदिन	10.00	20.00	20.00	30.00
10.	रेस्टोरेन्ट, बड़े	1,000.00 प्रतिमाह	200.00	300.00	300.00	800.00
11.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ, (आवासीय)	1,000.00 प्रतिमाह	200.00	400.00	400.00	800.00
	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ, (अनावासीय)	500.00 प्रतिमाह	200.00	200.00	200.00	500.00
12.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम, (बॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	400.00 प्रतिमाह	50.00	100.00	100.00	300.00
13.	क्लीनिक/पैथोलॉजी	300.00 प्रतिमाह	100.00	120.00	120.00	200.00
14.	दुकान	200.00 प्रतिमाह	100.00	150.00	150.00	200.00
	फैक्ट्री	500.00 प्रतिमाह	100.00	200.00	200.00	500.00
15.	वर्कशॉप/कबाड़ी	1,500.00 प्रतिमाह	250.00	300.00	300.00	800.00
16.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	500.00 प्रतिमाह	250.00	300.00	300.00	500.00
17.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	500.00 प्रतिमाह	300.00	400.00	400.00	500.00
18.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	100.00 घनमीटर	100.00	150.00	150.00	200.00

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5,000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्धि हो, ₹ 5,000.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल में अन्तिम रूप में निहित होगा।

शुभॉगी देवी कोटियाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, देवप्रयाग,
टिहरी गढ़वाल।

वलवन्त सिंह विष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, देवप्रयाग,
टिहरी गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट/802–भाग 8–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।